

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम

## अलवर

अनवान

बनाम

किस्म मुकदमा

..मु०नं०

..सन् 2021

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

15.09.2021

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 18.10.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 559/0.5300 है0 वाके ग्राम बघाना तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे अप्रार्थिया राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नहीं करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 18.10.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम

$$18\frac{10}{21}$$

27/12/21 को रेषा होवे ।

15/12/21

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली का विस्तारण नहीं होने से आईन्दा पत्रावली न्याया० हाजा में दिनांक १५/३ को पेश हो।

एस डी ओ/ रीडर

05/2/20

पत्रावली पेश की जाती है और उसे अक्षरशः  
 व सत्यापित जात पेश की जाती है। अतः पत्रावली  
 आज अलग-अलग अलग पेश की है और जिस की जा  
 तुसी है उसे स्वीकृत है। बाकी के इस पत्रावली को को  
 ऑफिस में भेजा जाता है। अतः अक्षरशः पत्रावली  
 इसी तरह पर डाक कर कर पत्रावली को अलग-अलग  
 अलग पेश की है और जिस की जाती है वह अलग-अलग  
 अलग-अलग अलग निरूपित है। अतः पत्रावली  
 के माध्यम से पत्रावली को अलग-अलग